

सेवा में,

माननीय रजिस्ट्रार महोदय,  
राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण, फरीद कोर्ट हाउस,  
इण्डिया गेट के पास, भारत सरकार,  
नई दिल्ली-110001

पत्रांक : 1862 / क्षेत्रीय प्रदूषण कार्यालय / 20

दिनांक : 19/9/20

विषय : माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली में दायर ओ0ए0 संख्या-403/2019 (हैदर खान, बनाम स्टेट आफ यू0पी0 व अन्य) में पारित आदेश दिनांक 20.01.2020 के सम्बन्ध में जाँच आख्या का प्रेषण।

महोदय,


कृपया उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली ओ0ए0 संख्या-403/2019 (हैदर खान, बनाम स्टेट आफ यू0पी0 व अन्य) में पारित आदेश के अनुक्रम में

“In view of the above, let UP State PCB District Magistrate, Banda verify factual status in the matter and furnish factual and action taken report to this Tribunal within one month by e-mail at judicial-ngt@gov.in Nodal agency will be the UP State PCB for compliance and coordination.”

उक्त के अनुक्रम में अवगत कराना है कि माननीय एनजीटी के आदेश के अनुपालन में इस कार्यालय के पत्र संख्या 1696/क्षेत्रीय प्रदूषण कार्यालय/20 दिनांक 14.07.2020 को आख्या माननीय एनजीटी को ई-मेल के माध्यम से प्रेषित की गई थी उक्त प्रकरण में सुनवाई दिनांक 24.09.2020 को नियत की गई है माननीय एनजीटी द्वारा पारित आदेश के सम्बन्ध में संदर्भित प्रकरण की जाँच के सम्बन्ध में बोर्ड के पत्र सं0 1289/ओ0ए0 सं0 403/2019/20 दिनांक 14.02.2020 को खनिज अधिकारी, खनिज विभाग, बॉदा के साथ संयुक्त जांच हेतु पत्र प्रेषित किया गया था, जिसके उपरान्त उक्त शिकायती प्रकरण की जांच दिनांक 27.06.2020 को जिला खनिज अधिकारी, बॉदा एवं क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बॉदा द्वारा किया गया है। उक्त शिकायती प्रकरण के सम्बन्ध में तथ्यात्मक कार्यवाही जिला प्रशासन, बॉदा द्वारा समय-समय पर किया गया व निरीक्षण के समय उक्त स्थल की ली गई फोटोग्राफ संलग्न है। वर्तमान में उक्त स्थल पर मौरम सैण्ड माइनिंग का कार्य 30.06.2020 की रात्रि से वर्षा काल के कारण नदी में पानी होने के कारण उक्त स्थल का पुनः निरीक्षण नहीं किया जा सका।

अतः माननीय प्राधिकरण के आदेश दिनांक 20.01.2020 के अनुपालन में दिनांक 27.06.2020 की निरीक्षण आख्या और फोटोग्राफस एवं जिला प्रशासन बॉदा व खान अधिकारी बॉदा के द्वारा की गई कृत कार्यवाही की आख्या सादर प्रेषित की जा रही है।

भवदीय

  
(घनश्याम)

क्षेत्रीय अधिकारी

उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,  
बॉदा।

विषय : माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली में दायर ओ0ए0 संख्या-403/2019 (हैदर खान, बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 व अन्य) में पारित आदेश दिनांक 20.01.2020 के सम्बन्ध में संयुक्त जाँच आख्या का प्रेषण।

उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली ओ0ए0 संख्या-403/2019 (हैदर खान, बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 व अन्य में पारित आदेश के अनुक्रम में

"In view of the above, let UP State PCB and District Magistrate, Banda verify factual status in the matter and furnish factual and action taken report to this Tribunal within one month by e-mail at judicial-ngt@gov.in. Nodal agency will be the UP State PCB for compliance and coordination."

दिनांक 27.06.2020 को संयुक्त समिति द्वारा निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के समय खदान संचालक/पट्टेधारक प्रतिनिधि के रूप में श्री जसपाल सिंह उपस्थित रहे। आख्या निम्नवत् है—

1. सैण्ड माइन लीज एरिया में मेसर्स आर0एस0आई0 स्टोन वर्ल्ड लिमिटेड सर्वे नं0-195/1, 191, 3 ग्राम-लहुरेटा की लीज एरिया 33.0 हेक्टेअर पर बोर्ड के द्वारा पर्यावरण दृष्टिकोण से स्टेट लेबिल इनवायरमेन्ट इम्पैक्ट एसेसमेन्ट एथारिटी लखनऊ के द्वारा दिनांक 24.11.2018 को पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान की गई है।
2. मेसर्स आर0एस0आई0 स्टोन वर्ल्ड लिमिटेड सर्वे नं0-195/1, 191, 3 ग्राम-लहुरेटा की लीज एरिया 33.0 हेक्टेअर स्वीकृत है। निरीक्षण के समय खनन क्षेत्र में लगभग पांच से सात हे0 में खनन कार्य किया जाना पाया गया, जिसमें पोकलैण्ड मशीनों का प्रयोग लोडिंग हेतु किया जा रहा था।
3. सन्दर्भित खदान में ट्रको को मौरम से लोड कर गीला करके कांटे तक ले जाया जाता है एवं खदान में ट्रको के लोडिंग का कार्य सी0सी0टी0वी0 कैमरे के निगरानी में किया जाता है। ट्रको के लोड होने के उपरान्त लोड ट्रक को एम0एम0 11(रवन्ना) जारी किया जाता है। तत्पश्चात् उसे ढक कर परिवहन के लिए अनुमति के पूर्व पुनः वाटर स्पिंकलर से गीला कर आवागमन हेतु अनुमति प्रदान की जाती है।
4. सन्दर्भित खदान में निरीक्षण के समय वृक्षों का कटान परिलक्षित नहीं हुआ।
5. सैण्ड माइन लीज एरिया केन नदी पर ग्राम लहुरेटा तहसील-नरैनी, जनपद-बॉदा में स्थित है। उक्त केन नदी का फ्लो दो राज्य मध्य प्रदेश एवं उत्तर प्रदेश से सम्बन्धित है।
6. केन नदी का उद्गम स्थल मध्य प्रदेश है एवं लगभग 420 किमी0 बहते हुए उत्तर प्रदेश के ग्राम-चिल्ला जनपद-बॉदा उ0प्र0 में यमुना नदी में मिलती है।
7. उक्त लीज सैण्ड माइन एरिया तहसील-नरैनी-करतल रोड से लगभग 07.0 किमी की दूरी पर मेन रोड से लगभग 2.5 किमी दक्षिण-पूरब दिशा में कैनल स्थित है जिससे 1.0 किमी की दूरी पर ग्राम-लहुरेटा दक्षिण-पूरब दिशा में स्थित है। केन नदी का बहाव पश्चिम दिशा से पूरब दिशा की ओर है। उक्त लीज एरिया (ग्राम-लहुरेटा) उ0प्र0 में केन नदी के दाहिने तट पर स्थित है। उक्त खनन क्षेत्र का जियो कोर्डिनेट कमशः 25°09'17"एन 80°23'25"ई है।
8. वर्तमान में निरीक्षण के समय श्री जसपाल सिंह उक्त संस्था के प्रतिनिधि के रूप में उपस्थित थे जिनके द्वारा अवगत कराया गया कि ग्राम-लहुरेटा सैण्ड माइन लीज एरिया में मेसर्स आर0एस0आई0 स्टोन वर्ल्ड लिमिटेड सर्वे नं0-195/1, 191, 3 की लीज एरिया 33.0 हेक्टेअर पर माह नवम्बर 2019 के प्रथम सप्ताह से कार्य किया जा रहा है।
9. संयुक्त निरीक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम-लहुरेटा के खनन पट्टा गाटा सं0-192 में केन नदी का जल पर्याप्त रूप में बहता पाया गया और उक्त स्थल पर पोकलैण्ड मशीन व अन्य से कोई खनन कार्य नहीं किया जा रहा था।


त सन्दर्भित खनन क्षेत्र जनपद बॉदा की तहसील नरैनी स्थित ग्राम- लहुरेटा में गाटा संख्या 195/1 का भाग, 191 व 03 कुल रकबा 33 हे० क्षेत्र को बालू/मौरम खनन हेतु उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड बॉदा द्वारा अनापत्ति एवं सहमति जल व सहमति वायु निर्गत नही किया गया है।

जिला प्रशासन के द्वारा ग्राम लहुरेटा में अवैध रूप से गाटा संख्या 195/1 का भाग, 191 पर किये जा रहे मोरम खनन पट्टाधारक मेसर्स आर०एस०आई० स्टोन वर्ल्ड लिमिटेड के विरुद्ध की गई कार्यवाही का विवरण।

1. जिलाधिकारी कार्यालय, बॉदा (खनिज अनुभाग) के पत्रांक 4039/खनिज-30, बॉदा दिनांक 16.01.2020 को मेसर्स आर०एस०आई० स्टोन वर्ल्ड लिमिटेड के प्रतिनिधि श्री अजीत सिंह जादौन पुत्र श्री कल्याण सिंह नि०- टटवाई, जनपद- करौली, राजस्थान को नोटिस प्रेषित किया गया।(संलग्नक-1)
2. कार्यालय जिलाधिकारी कार्यालय, बॉदा (खनिज अनुभाग) के पत्रांक 55/खनिज-30, बॉदा दिनांक 01.05.2020 को मेसर्स आर०एस०आई० स्टोन वर्ल्ड लिमिटेड के प्रतिनिधि श्री अजीत सिंह जादौन पुत्र श्री कल्याण सिंह नि०- टटवाई, जनपद- करौली, राजस्थान को नोटिस प्रेषित किया गया, जिसमें जिलाधिकारी महोदय, द्वारा उक्त के सम्बन्ध में अपना पक्ष एक सप्ताह के अन्दर प्रस्तुत करें अन्यथा विहित लोडिंग संनियमों की पुष्टि करने में विफल मानते हुए उपरोक्त वाहनों के ओवरलोड करने पर प्रत्येक चुक की दशा में रू० 1,25,000.00 (एक लाख पच्चीस हजार रुपये मात्र) वसूल करने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी, जिसके लिए आप स्वयं उत्तरदायी होंगे। (संलग्नक- 2) तत्पश्चात प्रतिनिधि के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट (धारा 154 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत) कार्यवाही की गई। (संलग्नक- 3)
3. अपर जिलाधिकारी (वि०/रा०) प्रभारी खनिज, बॉदा द्वारा दिये गये निर्देशानुक्रम में दिनांक 06.05.2020 को समय दोपहर 3:00 बजे, जनपद बॉदा की तहसील नरैनी स्थित ग्राम- लहुरेटा में गाटा संख्या 195/1 का भाग, 191 व 03 कुल रकबा 33 हे० क्षेत्र से बालू/मौरम का खनन हेतु 28.11.2018 से 27.11.2023 तक के लिये खनन पट्टा स्वीकृत/निष्पादित जांच की गई, जिसमें स्वीकृत क्षेत्र के बाहर 10171.50 घनमी० बालू/मौरम का अवैध खनन/परिवहन किया गया। उ०प्र० उपखनिज (परिहार) नियमावली 1963 के नियम 3, 57, 70 का उल्लंघन है। (संलग्नक- 4)
4. जिलाधिकारी कार्यालय, बॉदा (खनिज अनुभाग) के पत्रांक 379/खनिज-30, बॉदा दिनांक 02.06.2020 को मेसर्स आर०एस०आई० स्टोन वर्ल्ड लिमिटेड के प्रतिनिधि श्री अजीत सिंह जादौन पुत्र श्री कल्याण सिंह नि०- टटवाई, जनपद- करौली, राजस्थान को नोटिस प्रेषित किया गया। जिसमें जिलाधिकारी महोदय द्वारा गठित समिति दिनांक 06.05.2020 को निरीक्षण के समय पाया गया कि आप द्वारा स्वीकृत क्षेत्र में कहीं-कहीं पांच से छः मी० तक खनन किया गया। उक्त कृत्य उ०प्र० उपखनिज (परिहार) नियमावली 1963 के नियम -41(1) का उल्लंघन है। उपरोक्त नियम के उल्लंघन की कुल धनराशि रू० 1,43,54,350.00 (एक करोड़ तैंतालिस लाख चौवन हजार तीन सौ पचास रुपये मात्र) 30 दिवस के अन्दर जमा कराना सुनिश्चित करें। (संलग्नक- 5)
5. निरीक्षण के समय लिये गये फोटोग्राफ संलग्न है।(संलग्नक-6)  
उपरोक्त निरीक्षण आख्या के साथ संलग्ने फोटोग्राफ्स आपके अवलोकनार्थ एवं सूचनार्थ सादर प्रेषित है।

  
(डॉ० माधवी कमलवंशी)  
सहायक वैज्ञानिक अधिकारी  
उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,  
बॉदा

  
(शैलेन्द्र मौर्या)  
खनिज अधिकारी  
जनपद-बॉदा

  
(घनश्याम)  
क्षेत्रीय अधिकारी  
उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,  
बॉदा

# कार्यालय जिलाधिकारी, बाँदा।

(खनिज अनुभाग)

संख्यांक - 1

पत्रांक : 4039 / खनिज-30, बाँदा

दिनांक : जनवरी 16, 2020

## नोटिस

आर०एस०आई० स्टोन वर्ल्ड प्रा०लि०  
पता-ई 7 एम 708 अरेसा कालोनी,  
जिला भोपाल (म०प्र०)  
प्रतिनिधि श्री अजीत सिंह जादौन  
पुत्र श्री कल्याण सिंह  
निवासी-टटवाई, जनपद करौली राजस्थान।

आपके पक्ष में जनपद बाँदा की तहसील नरैनी स्थित ग्राम-लहुरेटा के गाटा सं०-195/1 का भाग, 191 व 3 कुल रकबा 33.00 हे० क्षेत्र से बालू/मोरम के खनन/परिवहन हेतु दिनांक 28.11.2018 से 27.11.2023 तक के लिये खनन पट्टा स्वीकृत/निष्पादित है, जिसके सम्बन्ध में निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ०प्र० लखनऊ के पत्र सं०-1674/एम-87 ए 503/2019(IMSS) दिनांक-15.01.2020 द्वारा सूचित किया गया है कि आप द्वारा खदान पर स्थापित वे-ब्रिज को भूतत्व एवं खनिकर्म में स्थापित कमाण्ड सेण्टर से इण्टीग्रेट किया गया है। आपके द्वारा ई०एम०एम०-11 के माध्यम से परिवहन किये जा रहे उपखनिज यथा बालू/मोरम के मात्रा का मिलान केन्द्रीय कमाण्ड सेण्टर से प्राप्त आकड़ों के क्रम में अनियमितता पायी गयी है कि दिनांक 03.01.2020 को वाहन सं०-यू०पी० 96टी०-2359 को प्रपत्र ई०एम०एम०-11 क्रमांक-31421807004626657 मात्रा 12 घन मी० बालू/मोरम के परिवहन हेतु निर्गत किया गया है, जब कि उक्त वाहन में कमाण्ड सेण्टर से एकीकृत वे-ब्रिज के अनुसार 17.60 घन मी० बालू/मोरम का परिवहन किया जाना पाया गया है। इस प्रकार आप द्वारा उक्त वाहन पर प्रपत्र ई०एम०एम०-11 के सापेक्ष 5.60 घन मी० ज्यादा बालू/मोरम का परिवहन कराया गया है, जो उ०प्र० उपखनिज (परिहार) नियमावली-1963 के नियम-41अ व 59(6) का उल्लंघन है।

उ०प्र० उपखनिज (परिहार) (यथा संशोधित 47वां संशोधन) नियमावली-2019 के नियम-41(अ) में प्राविधानित है कि "पट्टेदार भारत सरकार द्वारा निर्धारित सन्नियमों के अनुसार अपने अनुमोदित पट्टा क्षेत्र में खनिजों की लोडिंग का दायित्व ग्रहण करने हेतु बाध्य होगा।" तथा उक्त नियमावली के नियम-59(6) में प्राविधानित है कि "जहाँ, पट्टाधारक विहित लोडिंग सन्नियमों की पुष्टि करने में विफल हो जाय, वहाँ ऐसे प्रत्येक चूक की दशा में जिला मजिस्ट्रेट द्वारा ₹० 25,000.00 की शास्ति अधिरोपित की जायेगी। उक्त शास्ति को जमा करने में विफल रहने पर जिला मजिस्ट्रेट द्वारा संबंधित पट्टे के सापेक्ष जमा की गयी प्रतिभूति धनराशि से कटौती कर ली जायेगी।"

अतः आपको एतद्वारा सूचित किया जाता है कि आप उक्त के सम्बन्ध में अपना पक्ष एक सप्ताह के अन्दर प्रस्तुत करें अन्यथा विहित लोडिंग सन्नियमों की पुष्टि करने में विफल मानते हुये उपरोक्त 01 वाहन के ओवरलोड करने पर प्रत्येक चूक की दशा में ₹० 25,000.00 (पच्चीस हजार रुपये मात्र) अधिरोपित करते हुये वसूल करने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी, जिसके लिये आप स्वयं उत्तरदायी होंगे।




( हीरा लाल )

जिलाधिकारी, बाँदा।

पत्रांक व दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि :

1. निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।  
निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ०प्र०, लखनऊ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, बाँदा/चित्रकूट को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त वाहन सं०-यू०पी० 96टी०-2359 के सम्बन्ध में वाहन स्वामी का नाम, पिता का नाम व पता तहसील, पोस्ट सहित उपलब्ध कराने के साथ-साथ अपने स्तर से आवश्यक कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।



16/01/20  
जिलाधिकारी  
बाँदा।

कार्यालय जिलाधिकारी, बांदा।

(खनिज अनुमाग)

पत्रांक: 55 / खनिज-30, बांदा

दिनांक : अप्रैल / 2020

नोटिस

आर0एस0आई0 स्टोन वर्ल्ड प्रा0लि0,  
पता-ई 7 एम 708 अरेरा कालोनी, भोपाल,  
प्रतिनिधि-अजीत सिंह जादौन पुत्र श्री कल्याण सिंह,  
नि0 टटवाई जनपद करौली राजस्थान।

आपके पक्ष में जनपद बांदा की तहसील नरैनी स्थित ग्राम लहुरेटा के गाटा संख्या-195/1 का भाग, 191 व 3 कुल रकबा 33.00 हेक्टेयर पर बालू/मोरम का खनन पट्टा दिनांक 28.11.2018 से 27.11.2023 तक (05 वर्ष) की अवधि हेतु स्वीकृत/निष्पादित किया गया है। उपजिलाधिकारी नरैनी की चालानी आख्या दिनांक 28.01.2020 के अनुसार दिनांक 27.01.2020 को समय 00:30AM बजे उपखनिजों से लदे वाहनों की जांच किया गया, जिससे निम्नांकित विवरण के अनुसार आपके प्रपत्र एम0एम0-11 में अंकित मात्रा से अधिक वाहनों पर बालू/मोरम की मात्रा पायी गयी है:-

क्रम सं०	वाहन ट्रक सं०	ई एम0एम0-11 कमांक	ई एम0 एम0 -11 में अंकित मात्रा (घ0मी0 में)	वाहन में लदे बालू/मोरम की मात्रा (घन मी0 में)
01.	UP-72-T-9952	31421807004628111	20	25
02.	UP-35-AT-0360	31421807004625697	16	21
03.	UP-90-T-8744	31421807004629578	16	18
04.	UP-70-BT-7788	31421807004630172	12	23
05.	UP-90-T-7126	31421807004624540	04	06

उ0प्र0 उपखनिज (परिहार) (यथा संशोधित 47वां संशोधन) नियमावली-2019 के नियम-41 (झ) में प्रावधानित है कि "पट्टेदार भारत सरकार द्वारा निर्धारित सन्नियमों के अनुसार अपने अनुमोदित पट्टा क्षेत्र में खनिजों की लोडिंग का दायित्व ग्रहण करने हेतु बाध्य होगा।" तथा उक्त नियमावली के नियम-59(6) में प्रावधानित है कि "जहां पट्टाधारक विहित लोडिंग सन्नियमों की पुष्टि करने में विफल हो जाय, वहां ऐसे प्रत्येक चूक की दशा में जिला मजिस्ट्रेट द्वारा रू0 25,000.00 की शास्ति अधिरोपित की जायेगी। उक्त शास्ति को जमा करने में विफल रहने पर जिला मजिस्ट्रेट द्वारा सम्बन्धित पट्टे के सापेक्ष जमा की गयी प्रतिभूति धनराशि से कटौती कर ली जायेगी।"

अतः आपको एतद्वारा सूचित किया जाता है कि आप उक्त के सम्बन्ध में अपना पक्ष एक सप्ताह के अन्दर प्रस्तुत करे अन्यथा विहित लोडिंग सन्नियमों की पुष्टि करने में विफल मानते हुये उपरोक्त वाहनों के ओवरलोड करने पर प्रत्येक चूक की दशा में रू0 25,000.00 अधिरोपित करते हुये कुल रू0 1,25,000.00 (एक लाख पच्चीस हजार रुपये मात्र) वसूल करने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी, जिसके लिये आप स्वयं उत्तरदायी होंगे।

(अमित सिंह बंसल)  
जिलाधिकारी, बांदा।

पत्रांक व दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि:- निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

12/05/2020  
01/05/2020

जिलाधिकारी,  
बांदा।

**FIRST INFORMATION REPORT**

(Under Section 154 Cr.P.C.)  
प्रथम सूचना रिपोर्ट  
(धारा 154 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत)

1. District (जिला): बाँदा P.S. (थाना): नौरौनी Year (वर्ष): 2020  
FIR No. (प्र.सू.रि. 0054 Date & Time of FIR (प्र.सू.रि. की दिनांक/समय): 15/03/2020 02:25 बजे

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धारा(एँ))
1	भा दं सं 1860	379
2	खान एवं खनिज (विकास का विनियमन) अधिनियम 1957	4
3	खान एवं खनिज (विकास का विनियमन) अधिनियम 1957	21

3. (a) Occurrence of offence (अपराध की घटना):

1. Day (दिन): शुक्रवार

Date From (दिनांक से 13/03/2020

Date To (दिनांक तक): 13/03/2020

Time Period (समय अवधि): पहर 1

Time From (समय से): 00:00 बजे

Time To (समय तक): 00:00 बजे

(b) Information received at P.S. (थाना जहां सूचना प्राप्त हुई):

Date (दिनांक): 15/03/2020

Time (समय): 00:58 बजे

(c) General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ):

Entry No. (प्रविष्टि सं.): 006

Date & Time (दिनांक और समय): 15/03/2020 00:58 बजे

4. Type of Information (सूचना का प्रकार): लिखित

5. Place of Occurrence (घटनास्थल):

1. (a) Direction and distance from P.S. (थाना से दूरी और दिशा): दक्षिण, 09 किमी

Beat No. (बीट सं.):

(b) Address (पता): भिन्न भिन्न गाटा संख्या, वहद ग्राम लहुरेटा

(c) In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर है तो):

Name of P.S. (थाना का नाम):

District(State) (ज़िला (राज्य)):

6. Complainant / Informant (शिकायतकर्ता/सूचनाकर्ता):

(a) Name (नाम): श्री शैलेन्द कुमार खान अधिकारी

(b) Father's/Husband's Name (पिता / पति का नाम):

(c) Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष): 1980

(d) Nationality (राष्ट्रीयता): भारत

(e) UID No. (यूआईडी सं.):

(f) Passport No. (पासपोर्ट सं.):

Date of Issue (जारी करने की तिथि):

Place of Issue (जारी करने का स्थान):

(g) Id details (Ration Card, Voter ID Card, Passport, UID No., Driving License, PAN)

S.No. (क्र.सं.)	Id Type (पहचान पत्र का प्रकार)	Id Number (पहचान संख्या)
1		

(h) Address (पता):

S.No. (क्र.सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	खान अधिकारी बाँदा, कोतवाली नगर, बाँदा, उत्तर प्रदेश, भारत
2	स्थायी पता	खान अधिकारी बाँदा, कोतवाली नगर, बाँदा, उत्तर प्रदेश, भारत

(i) Occupation (व्यवसाय):

(ii) Phone number (दूरभाष सं.):

Mobilo (मोबाइल सं.):

7. Details of known/suspected/unknown accused with full particulars

(जात / संदिग्ध / अज्ञात अभिसूक्त का पूरे विवरण सहित वर्णन):

Accused More Than (अज्ञात आरोपी एक से अधिक हों तो संख्या):

S.No.(क्र. सं.)	Nama (नाम)	Allas (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Present Address (वर्तमान पता)
1	फखरुद्दीन		पिता का नाम : अब्दुल रज्जाफ़	1. लहुरेटा, नरैनी, बाँदा, उत्तर प्रदेश, भारत
2	अमीरा		पिता का नाम : चरीटा	1. लहुरेटा, नरैनी, बाँदा, उत्तर प्रदेश, भारत
3	भंसूर		पिता का नाम : रजा हुसैन	1. लहुरेटा, नरैनी, बाँदा, उत्तर प्रदेश, भारत
4	शाकिर		पिता का नाम : रमजान	1. लहुरेटा, नरैनी, बाँदा, उत्तर प्रदेश, भारत
5	रामरतन		पिता का नाम : अधोर	1. लहुरेटा, नरैनी, बाँदा, उत्तर प्रदेश, भारत
6	द्वारिका		पिता का नाम : कमतू	1. लहुरेटा, नरैनी, बाँदा, उत्तर प्रदेश, भारत
7	आशिक खाँ		पिता का नाम : इमाम खाँ	1. लहुरेटा, नरैनी, बाँदा, उत्तर प्रदेश, भारत
8	गुड्डू		पिता का नाम : हबीब	1. लहुरेटा, नरैनी, बाँदा, उत्तर प्रदेश, भारत

8. Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):

9. Particulars of properties of interest (संबन्धित सम्पत्ति का विवरण):

S.No. (क्र. सं.)	Property Category (संपत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति का प्रकार)	Description (विवरण)	Value (In Rs/-) (मूल्य रु में)
------------------	------------------------------------	------------------------------------	---------------------	--------------------------------

10. Total value of property (In Rs/-)-सम्पत्ति का कुल मूल्य(रु में):

11. Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी. प्रकरण सं., यदि कोई हो)

S.No. (क्र. सं.)	UIDB Number (यू.डी. प्रकरण सं.)
------------------	---------------------------------

12. First Information contents (प्रथम सूचना तथ्य):

नकल तहरीर- कार्यालय जिलाधिकारी बाँदा। (खनिज अनुभाग) पत्रांक: 4918/खनिज-30 दिनांक मार्च 13, 2020 सेवा में प्रभारी निरीक्षक कोतवाली नरैनी महोदय कृपया उपजिलाधिकारी नरैनी की आख्या दिनांक 13.03.2020 के द्वारा अवगत कराया गया है कि ग्राम लहुरेटा, तहसील नरैनी जिला बाँदा में अवैध बालू खनन के टीलो का स्थलीय व अभिलेखीय अवलोकन किया गया मौके पर खातेदारों की भूमि टीलो के रूप में जिसमें उपरी संतह में घास, फूस तथा मिट्टी है, इसके नीचे बालू है, टीला गिराकर अवैध बालू का खनन किया गया है, चिन्हित गाटाओ के खातेदारों का विवरण ग्राम लहुरेटा की खतौनी संन 1423 लगायत 1428 फ0 के अनुसार निम्नवत है क्र0सं0खाता खतौनी संख्या/खातेदार का नाम /पिता का नाम व निवास पुत्र अब्दुल रज्जाफ़ नि0- लहुरेटा 549 मि0.263120 घन मी02.60अमीरा पुत्र चरीटा नि0- लहुरेटा549 मि0.700160 घन मी03.415भंसूर पुत्र रजा हुसैन नि0- लहुरेटा549 मि0.350170 घन मी04.602शाकिर पुत्र रमजान नि0- लहुरेटा549 मि0.700140 घन मी05.536रामरतन पुत्र अधोर नि0- लहुरेटा549 मि0.438180 घन मी06.235द्वारिका पुत्र कमतू नि0- लहुरेटा238 मि1.400140 घन मी07.74आशिक खाँ पुत्र इमाम खाँ नि0- लहुरेटा60/40.700120 घन मी08.160गुड्डू पुत्र हबीब नि0- लहुरेटा66/20.403150 घन मी0उक्त कृत्य 30प्र0 उपखनिज (पारेहार) नियमावली-1963 के नियम 3, 57 व 70 व खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम-1957 की धारा 4 व 21 के नियमों का स्पष्ट उल्लंघन है। अतः अनुरोध है कि उपजिलाधिकारी नरैनी आख्या दिनांक 13.03.2020 के क्रम में बालू/मोरम का अवैध खनन परिवहन के सम्बन्ध में सलित व्यक्तियों के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने का कष्ट करें। संलग्नक- उपरोक्तानुसार। हस्ताक्षर अग्नेजी अपठनीय (शैलेन्द कुमार) खान अधिकारी, बाँदा। नोट- तहरीर की कायमी व तहरीर का0मु0 यशवन्त सिंह द्वारा बोल-बोलकर कम्प्यूटर में फीड कराया गया।

N.C.R.B. (पु.सं.आ.सं.)  
I.I.F.-1 (एकीकृत संव.कर्म -1)

13. Action taken: Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at item  
(को गयी कार्यवाही): चूंकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता है कि अपराध करने का तरीका भा.सं. 2 में उल्लेख प्राप्त है तब

(1) Registered the case and took up the investigation:

or

(2) Directed (Name of I.O.) (जांच अधिकारी का नाम): AKASH SACHAN Rank (पद): SI (Sub-Inspector)  
No. ( 132560058 to take up the investigation (को जांच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया)

(3) Refused investigation due to (जांच के लिए):  
or (को जांच इनकार किया District

(4) Transferred to P.S. on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण  
F.I.R. read over to the complainant / Informant, admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant / Informant free of cost. (शिकायतकर्ता / सूत्रकर्ता को याचिका पढ़ कर सुनिश्चिती गयी, सही दर्ज गयी और प्रतिलिपि मुफ्त में प्रेषित की)

14. Signature/Thumb Impression of the complainant / Informant: (शिकायतकर्ता / सूत्रकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):

15. Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की तिथि और समय):

Signature of Officer in charge, Police Station  
(जांच अधिकारी के हस्ताक्षर)  
Name (नाम): PS NARAINI  
Rank (पद): I (Inspector)  
No. (नं.): 945410046

जांच/निरीक्षण आख्या

अपर जिलाधिकारी (वि०/रा०)/प्रभारी अधिकारी खनिज, बांदा द्वारा दिये गये निर्देश के क्रम में दिनांक 06.05.2020 को समय दोपहर 3:00 बजे जनपद बांदा की तहसील नरैनी स्थित ग्राम-लहुरेटा के गाटा संख्या-195/1 का भाग, 191 व 3 कुल रकबा 33.00 हे० जो आर०एस०आई० स्टोन वर्ल्ड प्रा०लि० पता-ई 7 एम 708 अरेरा कालोनी, जिला भोपाल (म०प्र०) के पक्ष में 05 वर्षीय (दिनांक 28.11.2018 से 27.11.2023 तक) बालू/मोरम के खनन पट्टा स्वीकृत/निष्पादित है कि जांच की गयी।

जांच के समय पट्टाधारक द्वारा स्वीकृत क्षेत्र से सटे दक्षिण, पश्चिम एवं पूरब दिशा में 05 पिट्सों में बालू/मोरम का अवैध खनन/परिवहन किया गया है, जिसका पैमाईश का विवरण निम्नवत है :-

1. 70 x 28 x 1.60 = 3136.00 घन मी०
2. 55 x 23 x 1.50 = 1897.50 घन मी०
3. 32 x 22 x 1.75 = 1232.00 घन मी०
4. 52 x 27 x 1.50 = 2106.00 घन मी०
5. 45 x 32 x 1.25 = 1800.00 घन मी०

कुल योग :- 10171.50 घन मी०

इस प्रकार पट्टाधारक द्वारा स्वीकृत क्षेत्र के बाहर 10171.50 घनमीटर बालू/मोरम का अवैध खनन/परिवहन किया गया है उ०प्र० उपखनिज (परिहार) नियमावली-1963 के नियम-3, 57, 70 का उल्लंघन है।

स्वीकृत खनन क्षेत्र में मौके पर 360 डिग्री दृश्यता के चार सीसीटीवी कैमरा लगा नहीं पाया गया। जो कि उ०प्र० उपखनिज परिहार नियमावली-1963 के नियम-59(3) का उल्लंघन है जिसके अनुसार यदि पट्टाधारक, नियम-35 के उपबन्धों का उल्लंघन करता है तो प्रत्येक चूक के लिये प्रतिदिन 25000 रुपये की दर से शास्ति, सम्बन्धित जिला मजिस्ट्रेट द्वारा उदगृहित की जायेगी।


स्वीकृत क्षेत्र में सीमा स्तम्भ का निर्माण नहीं कराया गया है और न ही स्वीकृत क्षेत्र से सम्बन्धित साईन बोर्ड लगाया गया है। जो कि उ०प्र० उपखनिज परिहार नियमावली-1963 के नियम-35(1) का उल्लंघन है। खनन पट्टा क्षेत्र में लगे तौल मशीन के दगल से वाहनों के निकासी के लिये अलग से रास्ता बनाया गया है। उक्त रास्ते से अवैध उपखनिज के लदे वाहनों के परिवहन/निकलने की सम्भावना से इंकार नहीं किया जा सकता।


*(Three handwritten signatures)*

(2)

पट्टेधारक द्वारा स्वीकृत क्षेत्र में कहीं-कहीं 5 से 6 मीटर तक खनन किया गया है, जहां पानी आ गया है। मौके पर नदी तल में लिफ्टर मशीन के पार्ट्स पाये गये, जिससे स्पष्ट होता है कि पट्टेधारक द्वारा लिफ्टर मशीन का प्रयोग किया गया है। पट्टेधारक द्वारा अनुमोदित खनन योजना एवं पर्यावरण स्वच्छता प्रमाण-पत्र में दी गयी शर्तों एवं उ0प्र0 उपखनिज परिहार नियमावली-1983 के नियम-41(1) का स्पष्ट उल्लंघन किया गया है। उक्त नियम के अनुसार पट्टेदार नदी तल में 3मीटर की गहराई अथवा जलस्तर जो भी कम हो, के परे कोई खनन संक्रियायें नहीं करेगा।

आख्या सादर सादर प्रेषित है।

  
खनन/सर्वेक्षक  
बाँदा।

  
खान निरीक्षक,  
बाँदा।

  
खान अधिकारी  
बाँदा।

कार्यालय जिलाधिकारी, बाँदा।  
(खनिज अनुभाग)

संलग्न - 05

पत्रांक : १३१ / खनिज-30, बाँदा

दिनांक : मई 07, 2020

कारण बताओं नोटिस

मेसर्स आर0एस0आई0 स्टोन वर्ल्ड,  
प्रा0 लि0 पता ई-7 एम 708 अरेरा कालोनी,  
जिला भोपाल म0प्र0।  
प्रतिनिधि श्री अजीत सिंह जादौन,  
पुत्र श्री कल्याण सिंह,  
निवासी टटवाई, जनपद करौली राजस्थान।

आपके पक्ष में जनपद बाँदा की तहसील नरैनी स्थित ग्राम-लहुरेटा के गाटा सं0-195/1 का भाग, 191 व 3 कुल रकबा 33.00 हे0 क्षेत्र में बालू/मोरम का खनन पट्टा दिनांक 28.11.2018 से 27.11.2023 तक की अवधि हेतु स्वीकृत/निष्पादित है। दिनांक 06.05.2020 को आपके उक्त पट्टे की जांच व माप खान सर्वेक्षक बाँदा, खान निरीक्षक बाँदा व खान अधिकारी बाँदा द्वारा की गयी। प्राप्त संयुक्त जांच आख्या दिनांक 06.05.2020 में निम्नलिखित अनियमितताये पायी गयी है :-

1. मौके पर जांच/माप के दौरान पाया गया कि आप द्वारा स्वीकृत क्षेत्र से सटे रिक्त क्षेत्र उत्तर एवं दक्षिण दिशा में 05 पिट्सो में कुल 10171.50 घन मी0 बालू/मोरम का अवैध खनन कर परिवहन किया गया है, जो खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम-1957 की धारा-4 व 21 तथा नियमावली-1963 के नियम-3, 57 व 70 का उल्लंघन है, जिससे राज्य सरकार को रू0 15,25,725.00 रायल्टी, रू0 76,28,625.00 खनिज मूल्य व शास्ति रू0 5,00,000.00 कुल धनराशि रू0 96,54,350.00 (छियानवे लाख चौवन हजार, तीन सौ पचास रुपये मात्र) की क्षति के लिये दायी है।
2. स्वीकृत खनन क्षेत्र में मौके पर 360 डिग्री दृश्यता के चार सी0सी0टी0वी0 व सीमा स्तम्भ/साइन बोर्ड लगा हुआ नहीं पाया गया, जिससे उक्त नियमावली-1963 के नियम-35 के उपबन्धों का उल्लंघन होता है। उक्त उल्लंघन के परिणामस्वरूप नियमावली के नियम-59(3) के प्राविधानों के अनुसार प्रत्येक चूक के लिये प्रतिदिन 25,000.00 रू0 की दर से कुल 188 दिनों के निमित्त रू0 47,00,000.00 (सैतालीस लाख रुपये मात्र) शास्ति के लिये दायी है।
3. मौके पर जांच के समय पाया गया कि आप द्वारा स्वीकृत क्षेत्र में कहीं-कहीं 5 से 6 मीटर तक खनन किया गया। आपका उक्त कृत्य उ0प्र0 उपखनिज (परिहार) नियमावली-1963 के नियम-41(1) उल्लंघन है।

अतः उपरोक्त नियमों के उल्लंघन की कुल धनराशि रू0 1,43,54,350.00 (एक करोड़ सैतालीस लाख चौवन हजार, तीन सौ पचास रुपये मात्र) 30 दिवस के अन्दर निर्धारित लेखा शीर्षक "0853" में जमा कर ट्रेजरी चालान की मूल प्रति इस कार्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करे तथा नोटिस प्राप्ति के 30 दिवस के अन्दर किन परिस्थितियों में आप द्वारा नियमों का उल्लंघन तथा अनधिकृत खनन किया गया है, के सम्बन्ध में अपना लिखित स्पष्टीकरण भी प्रस्तुत करना सुनिश्चित करे। उक्त के अतिरिक्त यह भी स्पष्ट कर कि उ0प्र0 उपखनिज (परिहार) नियमावली-1963 के सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत क्यों न आपके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाये। यदि नियत अवधि में देय धनराशि व स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया जाता है तो यह मान लिया जायेगा कि इस सम्बन्ध में आपको कुछ नहीं कहना है तथा आपके पक्ष में स्वीकृत खनन पट्टे को निरस्त करके देय धनराशि अर्थदण्ड सहित शासकीय क्षति की वसूली प्रतिभूति की जमा धनराशि से अथवा नू-राजस्व के बकायों की भाँति वसूल करने का कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जायेगी, जिसके लिए आप स्वयं उत्तरदायी होंगे।

02/06/2020  
(अमित सिंह बसल)  
जिलाधिकारी,

संलग्नक - 5

माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण ओ०ए० सं०- ओ०ए० संख्या-403/2019 (हैदर खान, बनाम स्टेट ऑफ  
यूपी० व अन्य) दिनांक-27-06-20



ग्राम लहुरेटा, मौरम खदान पर निरीक्षण के दौरान लिये गये फोटोग्राफ

  
R. Bane  
UPPCB